न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न. 96/2020 दिनांक:17.4.2020

सरकार बनाम हेतराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम के देवता तहसील कोटपूतली के ख0 न0 216/1.95 है0 किस्म गै0मु0 बारानी –3में से 1.45 है0 भूमि पर हेतराम, महाराम पुत्र नारायण , श्रीराम,सांवतराम पुत्र हरिराम जाति गुर्जर निवासी मलपुरा ने सरसों कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किये गये । तामिल कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि गैर सायल सांवत राम पुत्र हरिराम फोत हो गया। अतः गैरसायल के स्थान पर वारिसान की सूचना मंगवाई जाकर । गैरसायल सांवतराम पुत्र हरिराम के स्थान पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट कायममुकाम को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये जो संलग्न पत्रावली किये गये।सूचना बाद गैर सायल उपस्थित आये परन्तु कोई जबाब पेश नहीं कियां। अतः हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ,गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब , भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम मलपुरा के खसरा नंबर 216 किस्म बारानी–3 पर अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतःगैरसायलान हेतराम, महाराम पुत्र नारायण व श्रीराम पुत्र हरिराम, लाली देवी पत्नि सांवतराम ,अमरसिंह , दिनेश पुत्र सांवतराम जाति गर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 216/1.95 है0 किस्म जमीन बारानी–3 में से 1.45 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलाल द्वारा बोई गई सरसों की फसल को सरेआम निलाम की जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

लगान राशी 5.80रू. का पचास गुणा 290 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 17.4.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

कार्यालय

Scanned with CamScanner